

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 2022/125

सन् 2022

राज.सरकार

बनाम

भादरराम पुत्र कानाराम जाति जाट खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:-22.02.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी भादरराम पुत्र कानाराम जाति जाट तहसील नोहर द्वारा ग्राम खरसण्डी के ख.न. 133 की गै.मु. चारागाह भूमि में .0467 है० नाजायज बाडा बना कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी के भाई मनीराम जाट को तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।


अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया गया अप्रार्थी का जवाब संतोषजनक प्रतित नहीं होता अतः पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज बाडा बना कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू०अ०नि० को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थी को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थी को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर लगभग तावान राशि 50/-रु. से दण्डित किया जाता है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर को अलग से आदेश जारी हो की संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग एवं ग्राम पंचायत ललानिया द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पाबद करें (राजस्थान पंचायती राज नियम 165(5) के अनुसार चारागाह भूमि पर पाये गये अतिक्रमण के सभी ऐसे मामलों की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को प्रकरण दर्ज करने और अतिक्रमियों को बेदखली की कार्यवाही ग्राम पंचायत के संकल्प के साथ की जायेगी)

भू अभिलेख निरीक्षक जबरासर को आदेश जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(रामकुमार शर्मा)
तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ